





- (क) ऋणी द्वारा ऋण या किसी भी शुल्क, प्रभारों, लागतों का या EMI या उसके किसी भी भाग का उस तरीके से भुगतान करने में विफल रहना, जो यहां शामिल है या ऐसी किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल होना, जिसका भुगतान इसके तहत देय होने के बाद नहीं किया गया हो।
- (ख) ऋणी का वाहन का विवरण निदिष्ट स्वरूप में फाइल करने में विफल होना; या
- (ग) ऋणी का BAF को पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि प्रदान करने में विफल रहना;
- (घ) ऋणी द्वारा इस अनुबंध के 30 दिनों की उपर्युक्त अवधि के अंदर वाहन की RC पुस्तिका में बंधक-ऋण के पृष्ठों (BAF के पक्ष में) को प्रभावी बनाने में विफल रहना;
- (ङ) ऋणी द्वारा BAF को यहां दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार डिजलीवर किए गए या डिजलीवर किए जाने वाले किसी भी PDC को बैंक द्वारा अमृतानि लौटा दिया गया हो, चाहे वह ऋणी द्वारा भुगतान रोक देने के निर्देश के कारण या ECS अधिकार-पत्र का भुगतान नहीं होने सहित किसी भी कारण से हो;
- (च) वाहन चोरी हो गया हो या किसी भी कारण से उसका पता नहीं लगाया जा सकता हो, BAF की राय में उसकी संपूर्ण हानि हो गई हो;
- (छ) ऋणी यहां दिए गए नियमों और शर्तों के अंतर्गत, समय पर बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करने में, बंधक-ऋण वाहन के लिए BAF के पास नवीनीकृत पॉलिसी की प्रति जमा करने में विफल रहता है;
- (ज) ऋणी, यहां दिए गए नियमों और शर्तों के अंतर्गत अनजाने किए गए PDC के बैंक प्रभारों का भुगतान करने में विफल रहता है;
- (झ) BAF की राय में ऐसी कोई भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसे इस अनुबंध के तहत बंधक-ऋण रखे गए वाहन के लिए खतरा होने की संभावना हो या उसमें BAF के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होने का उचित आधार हो।
- (ञ) ऋणी इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व का भुगतान करने या पालन करने में डिफॉल्ट होता है या इस "BAF" के पक्ष में इस अनुबंध के तहत या जमानत दस्तावेज, वचन-पत्र इत्यादि के तहत निष्पादित किसी भी अन्य दस्तावेज के किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन करता है;
- (ट) अगर ऋणी, "BAF" की पूर्व लिखित सहमति के बिना, "BAF" के प्रति ऋणी के अन्य दायित्वों की जमानत के लिए किए गए प्रभार को छोड़कर वाहन पर कोई भी प्रभार, बंधक-ऋण, ग्रहणाधिकार या अन्य भार निर्मित करने का प्रयास करता है या ऐसे उद्देश्य से कार्य करता है, जो कि कथित देय राशियों के पुनर्भुगतान के लिए जमानत है, या होगी;
- (ठ) "BAF" की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर व्यवसाय में हानि, व्यवसाय के अधिग्रहण/विघटन, समांमेलन या पुनर्निर्माण होना, ऋणदाताओं के हित के लिए सामान्य असाइनमेंट करना अगर ऋणी किसी भी लेनदार के भुगतान को निलंबित करता है या ऐसा करने की धमकी देता है, ऋणी के विरुद्ध व्यवसाय समाप्त करने की कोई भी याचिका दायर की जाती है;
- (ड) ऋणी सुविधा प्राप्त करने के लिए ऋणी द्वारा यहां प्रदान किए गए उसके/उसके प्रतिनिधित्वों, वारंटियों की दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने के कारण गलत या असत्य हो जाती है;
- (ढ) अगर ऋणी की संपूर्ण संपत्ति/संपदाओं या उसके किसी भाग के संबंध में प्राप्तकर्ता की नियुक्ति की जाती है या यदि ऋणी के विरुद्ध अटैचमेंट, संकट, निष्पादन या अन्य कार्रवाई की जाती है या किसी भी जमानत का प्रवर्तन कराया जाता है या उस पर प्रभार लगाया जाता है;
- (ण) ऋणी के विरुद्ध अटैचमेंट, संकट, निष्पादन या अन्य कार्रवाई के कारण या किसी भी जमानत को प्रवर्तित किया जाता है या उस पर प्रभार लगाया जाता है;
- (त) "BAF" को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति, ऋणी को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू करता है या अगर ऋणी ऋणशोधन में अक्षम या दिवालिया हो जाता है या दिवालिया होने का कार्य करता है;
- (थ) अगर वाहन नष्ट हो जाता है, उसकी बिक्री, निपटारा, किसी अन्य को दे दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है या उसे किसी भी प्रकार प्रतिलिपि किया जाता है;
- (द) ऋणी, यहां किए गए प्रावधान के अनुसार जमानत करने में विफल रहता है;
- (ध) ऋणी की संरचना या प्रबंधन में कोई ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव घटित होने पर, जो कि BAF के हितों के लिए हानिकारक या उन्हें जोखिम में डालता है, ऐसा "BAF" की पूर्व-लिखित सहमति के बिना किया गया हो या अगर प्रबंधन "BAF" के लिए विश्वासपात्र नहीं रह गया हो;
- (न) अगर "BAF" को आवश्यकता होने पर ऋणी, "BAF" द्वारा ऋण के अंतिम उपयोग का विस्तृत विवरण प्रदान करने का अनुरोध किए जाने के 10 दिनों के अंदर "BAF" को ऋण के अंतिम उपयोग का विस्तृत विवरण प्रदान करने का ऐसा विवरण प्रदान नहीं कर पाता हो;
- (फ) अगर ऋणी वाहन को वाणिज्यिक या अवैधानिक उद्देश्य के लिए परिनियोजित करता है;
- (प) "BAF" विनियामक या किसी भी अन्य कारण से ऋण जारी रखने में असमर्थ हो या इसके लिए अनिच्छुक हो;
- (ब) BAF और ऋणी के बीच हुए किसी अन्य अनुबंध के तहत ऋणी, इसके किसी भी दायित्व को पूरा करने की वचनबद्धता में डिफॉल्ट होता है।
- ख) डिफॉल्ट (चूक) होने की घटना को नोटिस**  
अगर डिफॉल्ट (चूक) होने की कोई घटना या ऐसी घटना घटित होती है, जो समय-सीमा समाप्त होने के बाद होती है या दोनों के कारण डिफॉल्ट होने की घटना होती है, तो ऋणी, डिफॉल्ट होने की ऐसी घटना को निदिष्ट करते हुए लिखित में इसकी सूचना तत्काल या ऐसी घटना के घटित होने के 15 दिनों में "BAF" को देगा।
- ग) डिफॉल्ट होने के परिणाम**  
I. **उपर बताए अनुसार डिफॉल्ट (चूक) होने की स्थिति में, किसी भी स्वीकृत परिपक्वता पर ध्यान दिए बिना, "BAF" को यह अधिकार होगा:**  
क) ऋण की संपूर्ण बकाया राशि की वसूली के लिए ऋण का निर्धारण करना और ऋण की मांग की सूचना भेजना;  
ख) कानून के तहत निदिष्ट प्रक्रिया के अनुसार स्वयं या ऐसे वकील या अधिकृत प्रतिनिधि, एजेंसी इत्यादि के माध्यम से वाहन का कब्जा लेना, जिन्हें "BAF" द्वारा अनुमोदित किया गया हो;  
ग) विवाचन और समझौता अधिनियम, 1996 के अनुसार विवाचन की कार्रवाई आरंभ करना.  
घ) ऐसी कोई भी कार्रवाई करना जो उसकी बकाया राशियों की वसूली और जमानती संपत्तियों के प्रवर्तन के लिए उसे अनुकूल लगती हैं।
- II. **ऋणी व्यक्ति को सूचना देना:**  
क. BAF, ऋणी के साथ स्वयं और/या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों या एजेंटों के माध्यम से लिखित और/या टेलीफोनिक और/या व्यक्तिगत मौखिक संपर्क कर सकता है, और  
ख. BAF और/या उसके एजेंट और/या अधिकृत प्रतिनिधि, ऋणी के निवास स्थान पर या नवीनतम रूप से ज्ञात निवास स्थान पर या ऋणी द्वारा अनुरोधित किसी भी अन्य स्थान पर विजित कर सकते हैं, और  
ग. BAF, ऋण-अनुबंध में दिए गए निवास स्थान पर या ऋणी द्वारा BAF को उचित समर्थन दस्तावेजों के साथ लिखित में बताए गए नवीनतम पते पर लिखित रूप से उचित सूचना दिए बिना वाहन को फिर से कब्जे में लेने सहित कानूनी या वसूली की अन्य कार्रवाइयों शुरू नहीं कर सकता,  
घ. BAF द्वारा आवश्यकतानुसार वाहन को फिर से कब्जे में लेने की प्रक्रिया या ऐसी परिस्थितियों के लिए आवश्यक अन्य कानूनी कार्रवाइयों शुरू करने से पहले बकाया राशि का भुगतान करने के लिए ऋणी को 7 दिनों की सूचना दी जाएगी।
- III. **ऐसी परिस्थितियां जिनमें सूचना अवधि में छूट दी जा सकती है:**  
ऋणी को सूचना देने में, निम्न परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है  
क) ऐसी कोई भी स्थिति होती है, जिसे BAF की राय में इस बात का पर्याप्त आधार बन जाता है कि बंधक रखे गए वाहन के लिए प्रतिकूल प्रभाव होने लगे या वह खतरे में आ जाए या इससे इस अनुबंध के तहत BAF के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या खतरा हो;  
ख) अगर ऋणी, "BAF" की पूर्व लिखित सहमति के बिना, ऋणी के वाहन पर कोई प्रभार, बंधक या ग्रहणाधिकार या अन्य कोई बंधक-भार निर्मित करता है या ऐसा आशय निर्मित करता है, जो ऋणी के "BAF" के प्रति अन्य किसी भी दायित्व को छोड़कर कथित बकाया राशियों के पुनर्भुगतान के लिए जमानत है या होगी;  
ग) ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए ऋणी द्वारा यहां प्रदान किए गए प्रतिनिधित्वों, वारंटियों में से कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है या गलत हो जाती है या असत्य हो जाती है या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए जाते हैं;  
घ) अगर ऋणी वाहन को वाणिज्यिक या अवैधानिक उद्देश्य के लिए परिनियोजित करता है।
- IV. **वाहन को फिर से कब्जे में लेना:**  
फिर से कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ऋणी को लिखित सूचना भेजी जाएगी।  
वाहन पर फिर से कब्जा, विवाचन और समझौता अधिनियम 1996 में निहित प्रावधानों के तहत या किसी भी अन्य प्राधिकारी, जैसा कि मामला हो, उससे रिशोवर आदेश मिलने के बाद ही प्राप्त किया जाएगा।  
न्यायालय या किसी सहाय प्राधिकारी के आदेश के अनुसार वाहन पर मिलने वाले कब्जे को बाधित नहीं करेगा और उस पर आपत्ति नहीं जताने या उसका विरोध न करने की ऋणी की जिम्मेदारी है। BAF, ऋणी को वाहन की एक इन्वेंट्री शीट प्रदान करेगा।  
BAF, वाहन पर फिर से कब्जा लेने के बाद वाहन की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए असाइनमेंट प्रवर्तक देखभाल करेगा। वाहन पर फिर से कब्जा लेने के संबंध में सभी पूर्व और पश्चातवर्ती व्यय, ऋणी द्वारा वहन किए जाएंगे।  
अगर आवश्यकता हो, तो BAF संघटित स्थानीय पुलिस स्टेशन में पहले और बाद में सूचना दे सकता है।
- V. **वाहन का मूल्यांकन और बिक्री:**  
वाहन पर फिर से कब्जा लेने के बाद, ऋणी को 7 दिनों के अंदर सभी बकाया राशियों का भुगतान करने का एक अंतिम अवसर देते हुए एक बिक्री-पूर्व सूचना जारी की जाएगी।  
अगर ऋणी कथन की स्वीकृत शर्तों के अनुसार पूर्ण भुगतान कर देता है, तो भुगतान के पश्चात् ऋणी को वाहन की पूर्ण संपत्ति वापस की जाने की शर्त के तहत वाहन वापस ऋणी को दिया जा सकता है।  
अगर ऋणी, सूचना देने के दिनों के 07 दिनों के अंदर या ऐसी कोई घटना होने के बाद ऋणी को सूचना देने के दिनों में ऋणी की सूचना देना है, तो ऋणी को सूचना देना है, तो "BAF" अपने एजेंटों या प्रतिनिधियों के माध्यम से नीलामी या ऑनलाइन नीलामी अथवा बिक्री, स्थानांतरण की प्रक्रिया या लेना करेगा। BAF स्वविके से उचित समझे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।  
फिर से प्राप्त किए गए वाहनों का मूल्यांकन कंपनी की मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार, निष्पाद और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।  
BAF, फिर से प्राप्त किए गए वाहन की बिक्री की राशि का उपयोग, कंपनी के प्रति किसी के अनुसार बकाया राशियों/प्रभारों की पूर्ति के लिए करेगा। अगर वाहन की बिक्री से प्राप्त राशि से सभी बकाया राशियों और/या प्रभारों का समायोजन करने के बाद अधिशेष राशि बचती है, तो उस राशि का भुगतान ऋणी के अनुरोध पर उचित समय में उसे चेक और/या मांग ड्राफ्ट द्वारा कर दिया जाएगा।  
हालांकि, अगर बिक्री की राशि सभी बकाया राशियों और/या प्रभारों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं हो, तो किसी भी अधिकार पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना BAF द्वारा ऋणी से शेष राशि की वसूली की जाएगी।
- VI. **वाहन की स्वीचिडक संपदागी:**  
ऋणी "BAF" द्वारा निर्धारित तरीके और स्वरूप के अनुसार स्वीचिडक रूप से हस्ताक्षरित समर्पण पत्र प्रदान करेगा।  
समर्पित किए गए वाहनों का मूल्यांकन कंपनी की मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार निष्पाद और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।  
BAF, अपने एजेंटों या प्रतिनिधियों के माध्यम से समर्पित किए गए वाहन की नीलामी या ऑनलाइन नीलामी या बिक्री, स्थानांतरण की प्रक्रिया में या जैसा कि BAF अपने स्वविके से उचित समझे, उसके अनुसार प्रक्रिया में आगे की कार्रवाई कर सकता है।  
BAF, समर्पित किए गए वाहन की बिक्री की राशि का उपयोग, कंपनी के प्रति किसी के अनुसार बकाया राशियों/प्रभारों की पूर्ति करने में करेगा। अगर वाहन की बिक्री से प्राप्त राशि से सभी बकाया राशियों और/या प्रभारों का समायोजन करने के बाद अधिशेष राशि बचती है, तो उस राशि का भुगतान ऋणी के अनुरोध पर उचित समय में उसे चेक और/या मांग ड्राफ्ट द्वारा कर दिया जाएगा।  
हालांकि, अगर बिक्री की राशि सभी बकाया राशियों और/या प्रभारों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं हो, तो किसी भी अधिकार पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऋणी से शेष राशि की वसूली की जाएगी।
- VII. **सामान्य**  
क) ऋणी वाहन/संपत्ति की वापसी "BAF" को "BAF" द्वारा निदिष्ट स्थान पर बाद में ऋणी द्वारा किए गए सभी अटैचमेंट/संयोजनों इत्यादि सहित उसी स्थिति में करने के लिए बाध्य होगा, जिस स्थिति में उसे ऋणी को मूल रूप से डिजलीवर किया गया था, हालांकि सामान्य घिसाई स्वीकार्य है।  
ख) ऋणी इस बात पर सहमत होता है कि वह "BAF" या न्यायालय द्वारा नियुक्त रिशोवर को उपर बताए अनुसार वाहन का फिर से कब्जा लेने से नहीं रोकेगा या उसमें बाधा नहीं डालेगा।  
ग) ऋणी, वाहन पर कब्जा लेने के लिए वाहन पर कब्जा लेने को प्रभावी बनाने और उसे सुरक्षित बनाए रखने इत्यादि के लिए किए गए विभिन्न प्रभारों जैसे "BAF" द्वारा भुगतान किए गए लदान करके ले जाने के शुल्क, गोडाउन शुल्क, किराए और अन्य व्यय का भुगतान करने के लिए दायी होगा। ऋणी तत्काल होने वाली किसी भी कमी के लिए "BAF" को भुगतान करने के लिए दायी होगा।  
घ) ऋणी, उसे "BAF" द्वारा दी गई कथित ऋण-सुविधा के एक पूर्व-शर्त के रूप में एतद्वारा इस बात पर सहमत होता है कि ऋणी द्वारा ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान या उसके ब्याज के पुनर्भुगतान में या देय दिनांक/दिनांक तक ऋण सुविधा की सहमति किसी भी किस्म के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट (चूक) होने की स्थिति में "BAF" ऋणी (ऋणियां) के नाम व्यक्तिगत रूप से, कंपनी/फॉर्म इकाइयों और उसके निदेशकों/साझेदारों/स्वामियों के नाम डिफॉल्ट के रूप में ऐसे तरीके से प्रकट करने या प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसे "BAF" अपने पूर्व स्वविके से उचित समझता है।  
ङ) यहां निहित शर्तियों के क्रियान्वयन में "BAF" ऐसी किसी भी हानि के लिए बाध्यकारी या दायी नहीं होगा, जो ऋणी को उपर उल्लिखित संपत्ति फिर से प्राप्त करने/फिर से कब्जा लेने के परिणामस्वरूप होते हैं।  
च) ना तो "BAF" और ना ही उसके एजेंट, अधिकारी या नामांकित व्यक्ति किसी भी प्रकार से इसके लिए जिम्मेदार और/या दायी होगा और ऋणी एतद्वारा इस बात की सहमति देता है कि वह "BAF" या उसके अधिकारियों, एजेंटों या किसी भी नामांकित व्यक्ति को ऐसी किसी भी हानि, क्षति सीमाओं या अन्यथा किसी भी वस्तु या आर्टिकल के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा, जिसे बंधक-ऋण रखे गए वाहन में उसका कब्जा लेते समय/फिर से प्राप्त करते या जप्त करते समय रखा गया हो।
10. **असाइनमेंट और अंतरण.**  
10.1 "BAF" के पास (असाइनमेंट, जमानत पर रखने या अन्यथा द्वारा) ऋण और ऋण के तहत बकाया राशियों को पूर्ण या आंशिक रूप से या इस अनुबंध के तहत "BAF" के किसी भी अधिकार और दायित्व को या इससे संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज को किसी भी व्यक्ति/इकाई को ऐसे नियमों और शर्तों के तहत बेचने या हस्तान्तरित करने का अधिकार है, जैसा कि "BAF" द्वारा अपने पूर्ण विवेक से ऋणी को कोई भी संदर्भ या सूचना दिए बिना प्राप्त है, ऐसी बिक्री, असाइनमेंट, प्रतिभूतिकरण या अंतरण, ऋणी के लिए बाध्यकारी होगा।  
10.2 ऋणी, उपर उल्लिखित संपत्ति के क्रय या अंतरण की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, जिसे ऋण का विक्रय या अंतरण किया जाता है, अपने ऋणदाता के रूप में स्वीकार करने पर और ऋण का पुनर्भुगतान ऐसे व्यक्ति को करने पर स्पष्ट रूप से सहमत है, जिसके लिए "BAF" द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।  
10.3 ऋणी को इस अनुबंध के तहत उसके अधिकारों या दायित्वों को आंशिक रूप से या पूरी तरह किसी अन्य व्यक्ति को असाइन करने का अधिकार नहीं होगा।

बुसान ऑटो फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Bussan Auto Finance India Private Limited) के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ऋणी

X सह-ऋणी

गारंटीकर्ता

11. पूर्व-अदायगी

"BAF" को ऋणी से ऋण की राशि पर अनुसूची में उल्लिखित दर से पूर्व-अदायगी दर की वसूली करने का अधिकार होगा, अगर ऋणी, पुनर्भुगतान की शर्तों से पहले खाता बंद करने उदा. अनुसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार ऋणी की समय सीमा पूरी होने से पहले ऋण राशि का पूर्व-भुगतान का निर्णय या आशय प्रकट करता है.

12. गारंटी

- 1. गारंटीकर्ता, एतद्वारा "BAF" को इसके तहत ऋणी द्वारा उसके/उन्के दायित्वों की मांग किए जाने के 15 दिनों के अंदर देय राशियों और उनके साथ उन पर ब्याज और सभी शुल्कों के साथ उचित भुगतान और ऋणमुक्ति की अर्थात् रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से गारंटी देते हैं, चाहे ऐसे ब्याज "BAF" द्वारा ऋणी को ऋण सुविधा प्रदान किए जाने के इस दिनों के पहले या उसके बाद किए गए हों, यह गारंटी, निरंतर तब तक जारी रहेगी, जब तक सभी दायित्वों का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता है.
2. गारंटीकर्ता की गारंटी, ऋणी के दायित्वों के साथ व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से है.
3. गारंटीकर्ता एतद्वारा इस बात पर सहमत होते हैं कि उनका दायित्व ऋणी के दायित्वों के साथ और BAF तथा उनके बीच समान रूप से विस्तृत है और उन्हें सभी बकाया राशियों के लिए BAF के प्रति मुख्य देनदार माना जाएगा.
4. गारंटीकर्ता इस बात पर स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि उन्हें किसी भी स्थिति में BAF के प्रति उनके दायित्वों से मुक्त नहीं किया जाएगा, जिसमें परिसीमन रहित रूप से निम्न स्थितियां शामिल हैं:
क. BAF और ऋणी (ऋणियों) के बीच इस अनुबंध या लेनदेन की किसी भी शर्त में उनकी सहमति के बिना कोई भी परिवर्तन होना
ख. BAF और ऋणी(ऋणियों) के बीच ऐसा कोई भी अनुबंध होने पर, जिसमें ऋणी को मुक्त किया जाता है या
ग. BAF द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या चूक के द्वारा जिसके कानूनी परिणाम के रूप में गारंटीकर्ता मुक्त हो जाते हैं.) या
घ. BAF द्वारा ऐसा कोई भी समझौता करने पर या ऋणी (ऋणियों) को समय देने का मुकदमा न चलाने का वचन देने पर या
ङ. BAF द्वारा जमानत जो देने पर और गारंटीकर्ता एतद्वारा ऐसे सभी सुनिश्चय संबंधी अधिकार छोड़ते हैं, जो उन्हें अन्याय उपलब्ध होते हैं.
5. भुगतान करने का गारंटीकर्ता का दायित्व, इस बात पर ध्यान दिए बिना, कि क्या ऋणी को मांग की गई थी या उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, गारंटीकर्ता को BAF की ओर से लिखित सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के बाद या उसे पंजीकृत पोस्ट AD से डिस्पैच करने के 18 दिन बाद, जो भी पहले हो, वह शुरू होता है.
6. गारंटीकर्ता इस बात पर सहमत देता है, कि इस अनुबंध में निर्धारित विवाचन उपधारा गारंटीकर्ता को भी बाध्य करती है और यह कि गारंटीकर्ता उस विवाचन निर्णय से बर्द है/हैं, जिसे विवाचक द्वारा दिया जाता है.
7. BAF इस गारंटीकर्ता को ऋणी के मुख्य दायित्व के साथ पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी भी व्यक्ति को (पूर्णतः या एक जमानत के रूप में) असाइन कर सकता है.

13. विविध

- 13.1 इस अनुबंध के तहत अधिकारों को प्रभावी रूप से प्रवर्तित करने के लिए "BAF" को सक्षम बनाने हेतु और ऋणी को दी गई ऋण सुविधा, ब्याज और उसके द्वारा भुगतान-योग्य अन्य धनराशि की वसूली के लिए, ऋणी, एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से "BAF" को वाहन को खरीदने के लिए दी गई/संवितरित की गई ऋण सुविधा के संबंध में उसके अधिकारियों या एजेंटों से अधिकृत प्रतिनिधियों से उचित और कानूनी डिलीवरी के रूप में ऐसी सभी कार्रवाइयां, क्रियाएं और कार्य निष्पादित करने/करने के लिए नामांकित, लिखित, नियुक्त करता है, जिनमें यह शामिल है:
क) कथित वाहन को अंतरित करना उसकी विक्री करना या उसका निपटान करना और सभी अनुबंधों, घोषणाओं और इंस्ट्रुमेंट पर हस्ताक्षर करना और उनका क्रियान्वयन करना, जो वाहन की डिलीवरी देने के लिए आवश्यक या अपरिहार्य हों.
ख) वाहन का फिर से कब्जा लेने और ऐसे किसी भी स्थानांतरण विक्री या निपटान या पुनर्प्राप्ति जैसी कि स्थिति हो, के लिए ऐसे किसी भी एजेंट और/या ब्रोकर को नियुक्त या संलग्न करना.
ग) कथित वाहन का विक्रय करने पर उपयुक्त प्राधिकारी को उसके पंजीकरण हेतु सूचना देना.
घ) कथित वाहन के विक्रय, अंतरण, निपटान द्वारा प्रतिकूल प्राप्त करना और उसके लिए उचित रसीद देना और उसका मान्य और प्रभावी समर्पण देना.
ङ) और आमतौर पर इन प्रदर्शित कार्यों से संबंधित और इनसे संबद्ध वे सभी कार्य, क्रियाएं और मामले पूरी तरह और प्रभावी रूप से क्रियान्वित व निष्पादित करना जो कि ऋणी के द्वारा इसे व्यक्तिगत रूप से, निष्पादित और क्रियान्वित करने के लिए किए गए थे.
13.2 कानून के तहत और इन प्रस्तुतियों के अंतर्गत "BAF" के लिए उपलब्ध अधिकारों, शक्तियों और उपायों को "BAF" उनके किसी भी कर्मचारी, एजेंट द्वारा लागू किया जाएगा और "BAF" अपनी किसी भी और सभी कथित शक्तियों और अधिकारों को ऐसे कर्मचारी या एजेंट को सौंप सकता है.
13.3 ऋणी, "BAF" के विरुद्ध, उनके द्वारा उठाए जाने वाले या उन पर इनसे या इनके संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली सभी कार्रवाइयों, दावों, लागतों, क्षतियों, नुकसान, व्ययों, हानियों और दायित्वों के संबंध में "BAF" को मांग करने पर बचाने और हानि रहित रखने और प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान करता है और इस पर सहमत होता है:
(क) इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन में ऋणी द्वारा की गई कोई भी विफलता और/या
(ख) तृतीय-पक्ष दायित्व सहित ऐसा कोई भी दायित्व जो ऋणी द्वारा या उनके किसी भी कर्मचारी या उनके एजेंटों या किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह कोई भी हो, वाहन को कब्जे में रखने, उसके परिचालन और उपयोग से उत्पन्न होता है, चाहे उसे कथित वाहन के ऐसे उपयोग के लिए ऋणी द्वारा अधिकृत किया गया हो या नहीं किया गया हो और वह उस उद्देश्य के लिए आकस्मिक हो और/या
(ग) ऋणी द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व और वारंटी के गलत या असत्य होने और/या "BAF" पर किए गए कोई भी दावे, हानियां, मांगें, कार्रवाइयां, लागतें, व्यय, नुकसान, क्षति जो उनके द्वारा खर्च किए गए और उठाए गए हैं और/या ऐसे सभी दावे, हानियां, मांगें, लागतें, खर्च और दायित्व जो "BAF" द्वारा बंधक-ऋण रखे गए वाहन के किसी भी प्रभार या शुल्क से मुक्त नहीं होने के कारण किए गए और/या
13.3 किसी भी अन्य शर्त के लिए या इस अनुबंध के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पक्ष स्पष्ट रूप से इस बात पर सहमत हैं, कि ऋणी द्वारा "BAF" का इस अनुबंध के तहत किए गए भुगतान को इस "BAF" द्वारा निम्न क्रम में या जैसा कि वह ठीक समझे वसूला जाएगा.
क. लागतें, प्रभार और व्यय जिन्हें "BAF" द्वारा सेवा, प्रवर्तन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए खर्च किया गया है और इसलिए वह उन सभी ऋणों, व्ययों और सभी देय राशियों को पुनर्प्राप्त कर सकता है, जो इस अनुबंध के तहत ऋणी द्वारा "BAF" को देय और भुगतान योग्य हों.
ख. इस अनुबंध के तहत उपाजित ब्याज, शुल्क
ग. ऋण की मूल राशि
घ. चूक हुई धनराशि पर ब्याज और डिफॉल्ट की गई राशि/राशियों पर लाभ की हानि
ङ. पूर्व अदायगी प्रभार, बैंक प्रभार (बैंक अनादरण प्रभार) और अन्य प्रभार जो देय और भुगतान योग्य हों,
13.4 पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस अनुबंध के और इससे संबंधित अन्य दस्तावेजों के तहत ऋण के ऋणदाता के रूप में उनका अधिकारों, शक्तियों या उपायों का क्रियान्वयन करने में "BAF" की ओर से किसी भी विलंब या चूक से उसके किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना ही इसे "BAF" द्वारा छूटा या मूकित के रूप में माना जाएगा.
13.5 पक्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह अनुबंध और इससे संबंधित कोई भी अन्य दस्तावेज, पक्षों के बीच एकल अनुबंध प्रदर्शित करते हैं.
13.6 यह अनुबंध पक्षों के बीच पहले की सभी चर्चाओं और प्रतिनिधित्वों को अधिकृत करता है और "BAF" ब्रोशर, परिशिष्ट और संबंध में सहेजी गई किसी भी विषयवस्तु किसी भी पत्राचार, आवेदन पत्र में या अन्याय "BAF" द्वारा ऋणी के लिए किए गए या इसके लिए स्वीकार किए गए कथनों के संबंध में दायित्वों और प्रतिनिधित्वों के संबंध में सामग्री सही और सत्य है और/या विषय-वस्तु से अलग है.
13.7 ऋणी, संशोधित अप-टु-डेट नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट 1881, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता और किसी भी अन्य फोरम के तहत किसी भी उपाय का अनुपालन करते समय ब्याज सहित किए गए सभी व्ययों के लिए भी दायी होगा.
13.8 पक्षों का पता, अनुसूची में उल्लिखित किया जाएगा. ऋणी और गारंटीकर्ता, किसी भी प्रभार की सूचना प्राप्त होने की तुरंत उसके/उन्के पते पर देंगे.
13.9 इस अनुबंध के तहत आवश्यक या अनुमत कोई भी सूचना या अनुरोध किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को केवल लिखित में दिया जाएगा और उसे अनुसूची में उल्लिखित दूसरे पक्ष के पते पर या इस अनुबंध के जारी रहने के दौरान (या ऋणी और गारंटीकर्ताओं को) दूसरे पक्ष के प्रदान किए गए पते पर "BAF" को ऋणी/गारंटीकर्ता के जात पिछले पते पर भेजा जाएगा:
(क) अगर यह "BAF" द्वारा दिया जाता है, तो इसे व्यक्तिगत डिलीवरी, फैंक्स या पोस्ट द्वारा दिया जा सकता है और इसे व्यक्तिगत डिलीवरी के माध्यम से दिए जाने पर ऋणी/गारंटीकर्ता को दिया गया और उनके द्वारा स्वीकार किया गया और पोस्ट द्वारा भेजे जाने पर उन्हें उसके/उन्के पिछले जात पते पर/आगामी ट्रांसमिशन के लिए संशोधित पते पर सस्टर्ड पोस्ट से डिस्पैच किए जाने के 3 दिन वीत जाने पर ऋणी/गारंटीकर्ता को दिया गया और उनके द्वारा स्वीकार किया गया माना जाएगा
(ख) सभी पत्र-व्यवहार में, खाता नंबर और साथ ही पूर्ण पंजीकरण संख्या का उल्लेख भी ऋणी और गारंटीकर्ता (गारंटीकर्ताओं) को करना चाहिए.
13.10 ऋणियों का दायित्व, अगर वे एक से अधिक हों, संयुक्त और अलग-अलग होगा.
इस ऋण के संबंध में ऋणियों का दायित्व संयुक्त और अलग-अलग होगा.

14. अप्रवर्तनीयता खंड

अगर इस अनुबंध का कोई भी प्रावधान/खंड/उपखंड या उसका अनुप्रयोग किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए अमान्य या किसी भी सीमा तक किसी भी कानून या विनियम या सरकारी नीति सहित किसी भी कारण से अप्रवर्तनीय हो जाता है, तो उस व्यक्ति या परिस्थिति के लिए इस अनुबंध और ऐसे अनुप्रयोग को छोड़कर बाकी के लिए उसे अमान्य या अप्रवर्तनीय माना गया है, शेष व्यक्ति या परिस्थिति पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस अनुबंध का हर एक प्रावधान कानून द्वारा अनुमत पूर्ण सीमा तक मान्य और प्रवर्तनीय बना रहेगा.

15. मध्यस्थता

इस अनुबंध की व्याख्या या इसके क्रियान्वयन को नियंत्रित करने वाले सभी पहलुओं, इसकी और इससे संबंधित सुरक्षा और अन्य दस्तावेजों सहित इस अनुबंध या मान्यता या उसके नियमों और शर्तों के बाहर या इसके संबंध में यदि पक्षों के बीच कोई भी विवाद, दावा या मतभेद उत्पन्न होता है, तो उसका निपटारा करने के लिए पक्षों के बीच सौहार्द से किया जाएगा. ऐसे निपटार में विफल रहने पर उसे BAF द्वारा नियुक्त पूर्ण विवाचक को विवाचन और समझौता अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय विवाचन काउंसिल के विवाचन के नियमों के अनुसार नियुक्त पूर्ण विवाचक को संदर्भित किया जाएगा और ऐसे पूर्ण विवाचक के निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा. यह इस अनुबंध की एक शर्त है कि अगर ऐसे विवाचक जिसे यह मामला मूल रूप से संदर्भित किया गया है, उसकी मृत्यु हो जाती है या वह किसी भी कारण कार्य करने में असमर्थ रहता है, तो BAF किसी अन्य व्यक्ति को विवाचक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा. ऐसे व्यक्ति को उस स्थिति से प्रदान के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार होगा, जिस पर उसे/उन्के पूर्ववर्ती व्यक्ति द्वारा इसे छोड़ा गया था. विवाचन की कार्रवाइयों का स्थान नई दिल्ली या BAF को शाखा कार्यालय होगा, जो भी ऐसे नियुक्त विवाचक के लिए सुविधाजनक/अनुकूल माना गया हो.

16. अधिकार-क्षेत्र

और उपर प्रदान नहीं किए गए सभी मामलों के लिए नई दिल्ली के न्यायालय या शाखा कार्यालय या केवल BAF का ही न्यायाधिकार क्षेत्र होगा.

भारत के कानून इस अनुबंध का और इससे संबंधित सुरक्षा और अन्य दस्तावेजों का नियंत्रण करेगा.

स्वीकृति-

- 1/हम ऋणी और गारंटीकर्ता, जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं एतद्वारा यह घोषणा करते हैं, कि-
i. मैं/हमने संपूर्ण अनुबंध पढ़ और समझ लिया है/इसे अनुसूची में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों सहित हमारे सामने पढ़ा गया है और मुझे/हमें मेरी/हमारी मातृभाषा में समझा दिया गया है और इसे मेरी/हमारी मौजूदगी में भरा गया है.
ii. मैं/हमने इस अनुबंध की विषय-वस्तु का सत्यापन करने और उसे समझने के बाद इस पर हस्ताक्षर किया है/किए हैं.
iii. मैं/हम इस बात पर सहमत हैं और BAF को मुझे/हमसे कोई भी संचार अंग्रेजी भाषा में लिखित में या अन्याय करने की अनुमति देते हैं.
इसके साक्ष्य के रूप में यहां दिए गए पक्षों की मौजूदगी में इसका क्रियान्वयन/निष्पादन इसके बाद प्रदर्शित अनुसूची में लिखित दिन और वर्ष को प्रस्तुत किया गया.

• ऋणी के लिए

☞ ऋणी

X सह-ऋणी

✓ गारंटीकर्ता

Table with 2 columns: साक्षी (Witness) and हस्ताक्षर (Signature). Rows for साक्षी, नाम (Name), and पता (Address).

बुसान ऑटो फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Bussan Auto Finance India Private Limited) के लिए इनके हस्ताक्षर के साथ डिलीवर किया गया बुसान ऑटो फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Bussan Auto Finance India Private Limited) इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हाथों : श्रीसुश्री

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता